UPSI010104882023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0–2288/2023

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति प्रमोद आदि

अपराध सं0–99/2018

अन्तर्गत धारा–147, 307, 323, 325, 427, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–मिश्रिख, जिला–सीतापुर।

आरोप

मैं, मनोज कुमार–III, सत्र न्यायाधीश, सीतापुर एतद् द्वारा आप अभियुक्तगण **प्रमोद, रामदेवी, राजेश उर्फ राजकुमार, गुड्डी, विनोद व वंशी** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि दिनांक 11–03–2018 को समय 9.30 बजे सुबह स्थान परसौली रोड अन्तर्गत थाना मिश्रिख जिला सीतापुर में आप लोगों ने घातक हथियार अवैध असलहा से लैश होकर एक विधि विरूद्ध जमाव किया, जिसका सामान्य उद्देश्य वादी मुकदमा फूल सिंह के खेत में नीव भरना था व वादी मुकदमा फूल सिंह व उसके साथी मुसीम को मारना था। उक्त जमाव के सदस्यों द्वारा आप लोगो ने बल का प्रयोग करके बल्वा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 में दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में इस आशय, ज्ञान व ऐसी परिस्थिति में अवैध असलहा से वादी मुकदमा फूल सिंह व उसके साथी मुसीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। यदि उक्त फायर से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307/149 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा फूल सिंह व उसके साथी मुसीम को स्वेच्छापूर्वक मार पीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/149 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा फूल सिंह के साथी मुसीम को मार कर चोटे कारित किया, जिससे उसकी हड्डी फ्रेक्चर हो गयी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 325/149 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा फूल सिंह व उसके साथी मुसीम को गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर अपमानित करके प्रकोपित किया, जिससे लोक शान्ती भंग होने की सम्भावना पैदा हुई। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा फूल सिंह व उसके साथी मुसीम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि दिनांक 10–03–18 को उपरोक्त स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के साथी श्रीपाल वर्मा की गाड़ी यू0पी034ए0एच09662 का शीशा तोड़ कर रिष्टि कारित किया गया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 427 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद् द्वारा निदेर्शित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आपका इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाय।

(मनोज कुमार–III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांक:25–01–2024

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

(मनोज कुमार–III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांक:25–01–2024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0–2288/2023

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति प्रमोद आदि

अपराध सं0–99/2018

अन्तर्गत धारा–147, 307, 323, 325, 427, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–मिश्रिख, जिला–सीतापुर।

25–01–2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **प्रमोद, रामदेवी, राजेश उर्फ राजकुमार, गुड्डी, विनोद व वंशी** जेर जमानत न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 307, 323, 325, 427 504 व 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 ने केस को प्रारम्भ करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिससे वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों को साबित करेगे।

आरोप विरचित करने के बिन्दु पर अभियुक्तगण व अभियोजन पक्ष को सुना गया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को को सुनने एवं पत्रावली व केसडायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148, 307/149, 323/149, 325/149, 427, 504, 506 भा0दं0सं0 के आरोप हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्तगण को आरोपित किया जाय।

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप बनाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 27–02–2024 को पेश हो। गवाहों को अभियोजन पक्ष जरिए सम्मन तलब करें।

(मनोज कुमार–III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांकः25–01–2024

Digitally signed by Manoj Kumar III
Date: 2024.01.25 15:02:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur